राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1185/2025

नंद किशोर कुमावत —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अजमेर।
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, किशनगढ, जिला अजमेर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.01.2025
आदेश की दिनांक : 18.02.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुखराज सिंह राठौड़, अधिवक्ता

समक्षः– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की अपीलार्थी की प्रार्थना स्वीकार कर अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन पर सुना गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी वर्तमान में सहायक विकास अधिकारी के पद पर पंचायत समिति किशनगढ जिला अजमेर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से पंचायत समिति मकराना नागौर में किया गया है। अपीलार्थी की पत्नी राजकीय सेवा में रूपनगढ जिला अजमेर में कार्यरत है। राज्य सरकार की नीति के अनुसार पति–पत्नी दोनों के राजकीय सेवा में होने पर राज्य सरकार की नीति रही है कि दोनों को एक ही या निकटतम स्थान पर पदस्थापित रखे जाने की स्थानांतरण नीति के विरुद्ध अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है। अपीलार्थी का स्थानांतरण 11 माह की अल्पावधि में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है

कि अपीलार्थी की 80 वर्षीय वृद्ध माता है, जो विभिन्न बीमारियों से ग्रसित है, जिनकी देखभाल की जिम्मेदारी अपीलार्थी पर है। अपीलार्थी के बच्चे वर्तमान में अजमेर में ही अध्ययनरत है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानांतरण किये जाने से अपीलार्थी को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जावे तथा अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर निरन्तर कार्यरत रखा जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अवलोकन कर मनन किया गया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी अपील में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से स्पष्ट है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन सहायक विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत है। वर्तमान मामलें में अपीलार्थी की पत्नी भी राजकीय सेवा में रूपनगढ, अजमेर में कार्यरत हैं और अपीलार्थी का स्थानान्तरण जिला नागौर में किया गया है, जबकि अपीलार्थी की 80 वर्षीय माता है, जो गंभीर बीमारी से पीडित है। जिनकी देखभाल हेतु परिवार में अन्य कोई सदस्य नहीं है, जबकि पति–पत्नी दोनों राजकीय सेवा में कार्यरत हैं। ऐसी स्थिति में मामले की वर्तमान परिस्थिति एवं अपीलार्थिया के विद्वान अधिवक्ता की सहमति को ध्यान में रखते हुए हम यह आदेश देना समिचीन समझते हैं कि अपीलार्थी अपील में वर्णित तथ्यों के आधार पर नजदीकी पांच रिक्त पद दर्शाते हुए आगामी एक सप्ताह की अवधि में सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व

विभाग के नियमों/ दिशा–निर्देशों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी एक सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर अभ्यावेदन में दर्शाये गये रिक्त पदों पर विचार करते हुए नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य